

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

संख्या- 731/पं0दी0द0उपा0आ0न0पं0यो0 /नि0का0/टेण्डर/2022-23

दिनांक 05 नवम्बर, 2022

अल्पकालिक निविदा सूचना

पं0दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत निर्माण कार्यो में से निम्नलिखित 10 निर्माण कार्यो की निविदाये नगर पालिका परिषद बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में वर्ष 2022-23 में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों (जिनके हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर के हों) से दिनांक 14.11.2022 को अपरान्ह 4:00 बजे तक नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग में, 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एवं 3- उपजिलाधिकारी बहराइच कार्यालय में सीलबन्द आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बहराइच के कार्यालय कक्ष में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष सायं 4:30 बजे निविदाये खोली जायेगी। निविदा के साथ रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप) तथा 02 % धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0 /एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 /सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बन्धक हो, प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा। निविदा फार्म नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एवं उपजिलाधिकारी बहराइच कार्यालय से दिनांक 11.11.2022 को कार्यालय अवधि (प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। सशर्त निविदाये स्वीकार नही की जायेगी। सम्बधित अल्पकालिक निविदा सूचना नगरपालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट -WWW.bahraichnpp.in पर देखी जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	02 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जी0एस0टी0 18 %	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य समाप्त करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो0-कानूनगोपुरा दक्षिणी में मुन्शरीफ कोटेदार के मकान से अब्दुलहक के मकान तक नाली एवं इन्टर लाकिंग का कार्य।	997516.00	19950.00	1000.00	180.00	1180.00	दो माह
2	मो0-नौरैय्या में इरफान अली के मकान से हसीब के मकान तक और शहाबुद्दीन के मकान से शाकिर अली के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग का कार्य।	856720.00	17150.00	900.00	162.00	1062.00	दो माह
3	लोहा मण्डी में बन्शीधर धर्मशाला से गुप्ता सटर वाले तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	648238.00	13000.00	700.00	126.00	826.00	दो माह
4	मो0-सत्तीकुआं में पप्पू यादव के मकान से कमाल के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	612493.00	12250.00	650.00	117.00	767.00	दो माह
5	मो0-रायपुर राजा में कैम्ब्रिज स्कूल के बगल से श्री मिथिलेश श्रीवास्तव के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	694919.00	14900.00	700.00	126.00	826.00	दो माह
6	मो0-चांदमारी में श्री सुरेन्द्र सिंह के मकान से देवेन्द्र प्रसाद सिंह व उमा निवास होते हुए श्री रमेश दुबे के मकान तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	768446.00	15400.00	800.00	144.00	944.00	दो माह
7	मो0-नाजिरपुरा पूर्वी में मुख्य मार्ग पर मेराज के मकान से सौदागर मस्जिद होते हुए आरिफ के मकान तक व नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	856029.00	17150.00	900.00	162.00	1062.00	दो माह

8	मो0-नौवागढ़ी में श्री अवध बिहारी के मकान से श्री करिया सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	732400.00	14650.00	750.00	135.00	885.00	दो माह
9	मो0-नौवागढ़ी में रूप विला से श्री सुरेश कुमार द्विवेदी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	910929.00	18250.00	950.00	171.00	1121.00	दो माह
10	जेल रोड पर श्री महेन्द्र कुमार सिंह के मकान से श्री राममिलन वर्मा के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	638908.00	12800.00	650.00	117.00	767.00	दो माह

शर्तें-

- 1- निविदा के सील बन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- 2- सील बन्द निविदायें अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बहराइच एवं उप जिलाधिकारी बहराइच के कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में दिनांक 14.11.2022 को सायं 4:00 बजे तक ही निविदायें डाली जायेगी, जो उसी दिन 4:30 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बहराइच के कार्यालय में खोली जायेगी।
- 3- अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार / फर्मों को निविदा के साथ फर्म के पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 4- निविदादाता द्वारा 02 प्रतिशत जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक हो एवं रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 5- ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में एंव श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 6- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगरपालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार / फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- 7- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।
- 8- स्वीकृत आगणन में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित है किन्तु जी0एस0टी0 की दरों में वृद्धि उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 9- प्रत्येक कार्य हेतु कम से कम तीन-तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- 10- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11- निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- 12- किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने / कार्यदेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण पत्रों) / नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनई था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 13- नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को छोड़कर निविदा में भाग लेने वाले अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों को निर्माण कार्यों के सम्बंध में पर्याप्त अनुभव प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 14- स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निर्देशानुसार तत्काल ठीक कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 15- प्राप्त किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। इस सम्बंध में किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबुल है।
- 16- समस्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्ता परक कार्य निविदादाता को कराना होगा।
- 17- इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूट-फूट होती है तो निर्माण कार्यों के पूर्णतः की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
- 18- स्वीकृत कार्यों को अनुमोदित आगणन की धनराशि पर ही पूर्ण कराया जायेगा।

- 19- कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- 20- स्थल पर कार्य के प्रगति पर होने अथवा पूर्ण होने के उपरान्त शासन द्वारा अनुदान की उपलब्धता के आधार पर एवं उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 21- उक्त समस्त कार्यों का निरीक्षण त्रैमासिक आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी टीम के द्वारा किया जायेगा। तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रस्तावित कार्ययोजना के लिए स्वीकृत धनराशि की दूसरी किश्त शासन द्वारा अवमुक्त की जायेगी। तत्पश्चात कार्यों के बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 22- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 23- यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

(बाल मुकुन्द मिश्र)
अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

(रुबीना रेहान)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ०सं० एवं दिनांक- उपरोक्त
प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को उपरोक्त निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्रों की पांच-पांच प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निविदा फार्मों की बिक्री हेतु किसी कर्मचारी को अधिकृत करने के साथ - साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर टेण्डर बाक्स में पड़े निविदा फार्मों को खोलने का कष्ट करें।
- 3- उपजिलाधिकारी महोदय बहराइच को उपरोक्त निर्माण कार्यों के निविदा फार्मों की पांच-पांच प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि को निविदा फार्मों की बिक्री तथा निविदा फार्मों को जमा किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को अधिकृत करने की कृपा करें।
- 4- कार्यालय जिलाधिकारी बहराइच/उपजिलाधिकारी बहराइच/नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
बहराइच।